भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/286
विवि.एसटीआर.आरईसी.205./21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक 3
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3
बी. प्रयोज्यता 3
सी. परिभाषाएँ 4
अध्याय II - सामान्य अनुदेश 7
ए. बोर्ड की भूमिका 7
बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा 7
सी. प्रकटीकरण अपेक्षाएं 9
अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण 10
ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश 10
बी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण 11
सी. तुलन-पत्र की तारीख के लगभग आसपास खातों का नियमितीकरण 13
डी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले 14
ई. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ 17
एफ. प्रतिभूति का मूल्यांकन 19
जी. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन 19
अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड 21
ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत 21
बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान 21
सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान 22
डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान 22
ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान 23
एफ. निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान 23

जी. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान 23
अध्याय V - आय निर्धारण 28
ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत 28
बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन 31
सी. एनपीए से वसूली का विनियोजन 32
डी. शेयरों और बांडों में निवेश पर आय दर्ज करना 32
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान 33
ए. निरसन और बचाव 33
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 33
सी. व्याख्याएं 33
अनुबंध - I 35

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिजर्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21, 35ए और 56 तथा फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश शहरी सहकारी बैंकों (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।
   इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों का तात्पर्य प्राथमिक सहकारी बैंकों से होगा जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीवी) के तहत परिभाषित किया गया है।

4. यदि राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और/या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, या अन्य सांविधिक अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक सख़्त हैं, तो बैंक को इन अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

5. इन निदेशों के अतिरिक्त, बैंक को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पुनर्संरचित खातों के लिए अग्रिमों के प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है।

सी. परिभाषाएँ

6. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) *'फसल मौसम'* से तात्पर्य, प्रत्येक फसल के संबंध में,उस फसल की कटाई तक की अवधि है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित किया गया है;

(2) *'संदिग्ध आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जो बारह महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो;

(3) *'एक्सपोजर'* में सभी निधिक और गैर- निधिक एक्सपोजर (हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे।

(4) *'दीर्घावधि फसलों'* से तात्पर्य उन फसलों से है जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होती है;

(5) *'हानि आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसमें बैंक / आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों / सहकारिता विभाग या रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण में हानि की पहचान की गई हो, लेकिन बैंक द्वारा उस राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो;

(6) *'अनर्जक आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति भी शामिल है, जिसने बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया हो;

(7) *अनियमित दर्जा'* – नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) खाता 'अनियमित' माना जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

(i) बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से अधिक बनी रहती है;

(ii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं हुआ है;

(iii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन क्रेडिट राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: उपर्युक्त (iii) में संदर्भित 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाई जा रही है।

स्पष्टीकरण 2: 'अनियमित दर्जा' की परिभाषा उन सभी क्रेडिट उत्पादों पर लागू होगी जो ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल हैं जो कारोबार प्रयोजन के लिए नहीं हैं और// या जिनमें केवल ब्याज की चुकौती ही एकमात्र जमा (क्रेडिट) होती है।

(8) *अतिदेय' दर्जा* – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है।

(9) '*प्रतिभूति'* से तात्पर्य बैंक के पास विधिवत रूप से गिरवी रखी गई मूर्त जमानत से है और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी।

(10) *'अल्प अवधि की फसलों'* से तात्पर्य उन फसलों से है जो 'दीर्घ अवधि' की फसलें नहीं हैं;

(11) '*अवमानक आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जो बारह महीने या उससे कम समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) रही हो;

7. '*सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम'* और '*मध्यम उद्यम'* शब्दों की परिभाषाएँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के अनुसार होंगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

8. '*क्रेडिट इवेंट*' और '*डिफ़ॉल्ट*' शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दिया गया है।

9. *'वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)', 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा – रिहायशी आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच)', 'परियोजना वित्त',* और *'वित्तीय पूर्णता'* शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश 2025 में दिया गया है।

10. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - सामान्य अनुदेश

ए. बोर्ड की भूमिका

11. बैंक इन निदेशों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांत/ घटक शामिल होंगे:

    (1) आय निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होगी और वसूली के अभिलेखों पर आधारित होगी, न कि किसी व्यक्तिपरक विचार पर;

    (2) संपार्श्विक जैसे कि उसके पक्ष में प्रभारित अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए बाह्य एजेंसियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश;

    (3) समग्र विनियामक दिशानिर्देशों के भीतर ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण के लिए पद्धति और आवधिकता पर नीति।

12. बैंक के निदेशक मंडल को 'वृहत्तर ऋण' माने जाने वाले ऋणों के लिए कट-ऑफ सीमा निर्धारित करनी होगी और पैरा 62 के प्रयोजन के लिए वार्षिक स्टॉक ऑडिट हेतु बाहरी एजेंसियों के नामों को अंतिम रूप देना होगा।

बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा

13. बैंक को 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

    (1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे।

    (2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी।

    (3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।

14. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे तब पैरा 13 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. बैंक द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी खातों के संबंध में बैंक को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होगा:

(1) कार्यशील पूंजी खातों में आहरण चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किए जाते हैं;

(2) आहरण क्षमता का निर्धारण वर्तमान स्टॉक विवरण के आधार पर किया जाएगा;

(3) उप-पैरा (2) के होते हुए भी, बड़े उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आहरण क्षमता निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टॉक विवरण तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए;

(4) तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से गणना की गई आहरण क्षमता के आधार पर खाते में बकाया राशि अनियमित मानी जाएगी।

16. उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य डेटा की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं के मामले में, बैंक को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण सीमा का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।

17. बैंक को समग्र विनियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवधिकता पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का सख्ती से पालन करना होगा।

18. बैंक को उचित कारणों के बिना बार-बार तदर्थ/अल्पकालिक समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण से बचना चाहिए।

19. बैंक को ऋण सुविधाओं की नियमित और तदर्थ/अल्पकालिक समीक्षा/नवीनीकरण से संबंधित सभी डेटा को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम/प्रबंधन सूचना प्रणाली में संग्रहित करना होगा और इसे लेखापरीक्षकों/रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी लेखापरीक्षा या निरीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त, ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को बैंक के समवर्ती/आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र के दायरे में लाया जाएगा।

20. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक निम्नलिखित अनुदेशों को लागू करेगा:

1) अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक आस्ति वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;

(2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;

(3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

21. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।

अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण

ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश

22. बैंक ऋण या अग्रिम को मानक आस्ति या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो।

23. मानक आस्ति वह है जो किसी भी प्रकार की समस्या प्रकट नहीं करती है और जिसमें कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है।

24. बैंक, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।

25. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए बैंक द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

26. 31 मार्च 2020 तक ₹2000 करोड़ या उससे अधिक की कुल आस्ति वाले बैंक को 30 जून 2021 तक प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करना होगा।

स्पष्टीकरण: 'प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण' का अर्थ है कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस)/ बैंक के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम द्वारा निरंतर आधार पर स्वचालित तरीके से किया गया आस्ति वर्गीकरण (डाउनग्रेडिंग और अपग्रेडिंग)।

27. बैंकों के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे पर 31 दिसंबर 2019 के परिपत्र डीओएस.सीओ/सीएसआईटीई/बीसी.4083/31.01.052/2019-20 के अनुसार ₹1000 करोड़ या उससे अधिक की कुल आस्ति वाले और स्वयं को लेवल III या लेवल IV के तहत मूल्यांकित करने वाले बैंक को 30 सितंबर 2021 तक प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करना होगा।

28. ऐसा बैंक जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 या उसके बाद के वित्तीय वर्षों के अंत में पैराग्राफ 27 में मानदंडों को पूरा करता है, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण लागू करना होगा।

29. प्रणाली आधारित आस्ति वर्गीकरण प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, बैंक लागू आरबीआई अनुदेशों के अनुपालन में पायलट / समानांतर रन करेगा और आस्ति वर्गीकरण की सटीकता / अखंडता के परिणामों का मूल्यांकन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि वे नियत तारीख से सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं।

30. पैराग्राफ 27 में मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बैंक को स्वयं के हित में प्रणाली आधारित आस्ति वर्गीकरण को स्वैच्छिक रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

31. ऐसा बैंक, जिसे प्रणाली आधारित आस्ति वर्गीकरण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, उसे विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में एनपीए निर्धारण में देरी या स्थगन करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां रखनी चाहिए। बैंक अपने संबंधित कारोबार के स्तर के आधार पर यह तय करने के लिए एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करेगा कि किस खाते को उच्च मूल्य वाला खाता माना जाए। कट-ऑफ पॉइंट पूरे लेखा वर्ष के लिए मान्य होना चाहिए।

32. उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व और सत्यापन स्तर बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

33. प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कारण से आस्ति वर्गीकरण में उत्पन्न संदेह को निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के माध्यम से उस तिथि से एक महीने के भीतर निपटाया जाए जिस तिथि को खाते को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

बी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण

34. बैंक किसी ऋण या अग्रिम को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

    (1) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक *अतिदेय* रहती है;

(2) खाता ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) और ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो कारोबारी उद्देश्यों के लिए नहीं है और/या जो केवल क्रेडिट के रूप में ब्याज का भुगतान करने के लिए हैं, के रूप में प्रदान किए जा रहे अन्य सभी ऋण उत्पादों, के संबंध में 'अनियमित' रहता है;

(3) कार्यशील पूंजी उधार खाता जिसमें अनियमित निकासी लगातार 90 दिनों तक की जाती है;

(4) खरीदे और भूनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है;

(5) ऐसा खाता जिसमें नियमित/तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा नहीं की गई है या नवीनीकरण नियत तिथि/तदर्थ संस्वीकृति की तिथि से 90 दिनों के भीतर नहीं किया गया हो;

(6) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम के मामले में, अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है;

(7) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम के मामले में, दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम तक बकाया रहती है;

(8) क्रेडिट कार्ड खाता, जिसमें विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि, विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान नहीं की जाती है;

(9) प्राप्त की जाने वाली कोई भी राशि अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

35. पैरा 34 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, इन निदेशों के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, जिनमें पैरा 46 से 53 और भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निहित अनुदेश शामिल हैं, किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

36. आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होगा, न कि सुविधा-वार। किसी बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, सभी को एनपीए / अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि वह विशेष सुविधा/निवेश या उसका कोई भाग जो अनियमित हो गया हो।

37. पैरा 35 में सिद्धांतों के अलावा, जहां हानि का खतरा है या अग्रिमों की वसूली में संदेह है, आस्ति को एनपीए माना जाना चाहिए।

38. किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होगा। बैंक किसी अग्रिम खाते को केवल कुछ अस्थायी कमियों के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा, जैसे कि नवीनतम उपलब्ध स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति की अनुपलब्धता, अस्थाई रूप से सीमा से अधिक बकाया राशि, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना और नियत तिथि पर सीमा का नवीनीकरण न करना आदि।

39. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्ववर्ती आधार पर एनपीए की पहचान की जाती है और इन निदेशों में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को एनपीए के रूप में परिवर्तित होने के तुरंत बाद, तिमाही/वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रतीक्षा किए बिना, एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

40. बैंक अनुबंध - I में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर प्रत्येक वर्ष के अंत में एनपीए के आंकड़े रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।

41. बैंक को ऋण हानि की पहचान संबंधी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और लेन-देन करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को गंभीरता से लेना चाहिए।

42. अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न विसंगतियों की पहचान करना और जवाबदेही तय करना भारतीय रिज़र्व बैंक का निरंतर प्रयास रहेगा। यदि वर्गीकरण के लिए उत्तरदायी अधिकारी द्वारा जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया गया है और यह प्रमाणित है, तो रिज़र्व बैंक मौद्रिक दंड सहित निवारक कार्रवाई करेगा।

सी. तुलन-पत्र की तारीख के आसपास खातों का नियमितीकरण

43. जिन उधार खातों में तुलन-पत्र की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, उन उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण सावधानी से और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाएगा।

44. जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाते में अंतर्निहित कमजोरी दिखाई देती है, वहां खाते को एनपीए माना जाएगा।

45. अन्य वास्तविक मामलों में, बैंक सांविधिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को खाते के नियमितीकरण के तरीके के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ताकि उनकी निष्पादन स्थिति पर संदेह दूर हो सके।

डी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले

46. सहायता संघ (कंसोर्टियम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

(1) सहायता संघ या एकाधिक बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत खातों का आस्ति वर्गीकरण व्यक्तिगत सदस्य की वसूली के रिकॉर्ड और अग्रिमों की वसूली पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होगा।

(2) जहां संघीय ऋण व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा भेजे गए धन को सहायता संघ के किसी सदस्य के पास एकत्रित किया जाता है और/या जहां धन प्राप्त करने वाला सहायता संघ सदस्य अन्य सदस्यों के हिस्से को नहीं छोड़ता है, तो खाते को अन्य सदस्यों की बही में सर्विस न किए गए खाते के रूप में माना जाएगा और इसलिए, इसे एनपीए माना जाएगा।

(3) सहायता संघ में भाग लेने वाले बैंक को, अतः, अपनी संबंधित बही में उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए, अग्रणी बैंक से वसूली का अपना हिस्सा अंतरित करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से के अंतरण के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

47. सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) आदि के विरुद्ध अग्रिम

(1) सावधि जमा के विरुद्ध अग्रिम, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(2) सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

48. कृषि अग्रिम

(1) उप-पैराग्राफ 34(6) और 34(7) के अनुसार एनपीए मानदंड केवल निम्नलिखित प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे:

(i) कृषि और संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन आदि) के लिए व्यक्तिगत किसानों को वित्त – ऐसे व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), अर्थात व्यक्तिगत किसानों के समूह, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों पर अलग-अलग डेटा बनाए रखते हों] को ऋण, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों, अर्थात् डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उद्योग (कोकॉन स्टेज तक) में लगे हों।

(ii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, मत्स्यपालन, सुअर, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन आदि) के लिए अन्य (जैसे कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्मों और संस्थानों) को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹4 करोड़ की कुल सीमा तक ऋण:

(ए) फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण, अर्थात फसल ऋण। इसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान, बागवानी और संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी।

(बी) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (जैसे कृषि उपकरणों, प्रौद्योगिकीय समाधानों, मशीनरी को खरीदना और खेत में किए जाने वाले विकास के काम और उससे जुड़े कामों के लिए विकास ऋण)।

(सी) फसल कटाई से पहले और फसल काटने के बाद की गतिविधियों के लिए ऋण जैसे अपने स्वयं के कृषि उत्पाद का स्प्रे करना, फसल कटाई, ग्रेडिंग और परिवहन।

(डी) किसानों को कृषि उपज (गैर गोदाम रसीद सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक के बदले ₹2.5 करोड़ तक के ऋण, चाहे किसान को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिया गया हो या नहीं।

(ई) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद के लिए लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफएस) को ऋण।

(एफ) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को उपयुक्त संपार्श्विक पर ऋण।

(जी) अपने स्वयं के फार्म उत्पाद का निर्यात करने के लिए निर्यात ऋण।

(iii) उप-पैरा (i) में विनिर्दिष्ट किए गए ऋणों के अलावा अन्य कृषि ऋणों के संबंध में, गैर-कृषि अग्रिमों के समान ही एनपीए निर्धारण किया जाएगा।

(2) किसी किसान द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर, उप-पैराग्राफ 34(6) और 34(7) के अनुसार एनपीए मानदंड उनके द्वारा लिए गए कृषि अवधि ऋणों पर भी लागू होंगे।

(3) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय, उधारकर्ताओं के साथ नकदी प्रवाह / तरलता के आधार पर वास्तविक चुकौती कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं।

(4) जहां प्राकृतिक आपदाएं कृषक उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को कम करती हैं, राहत उपाय के रूप में बैंक निम्नलिखित निर्णय ले सकते हैं:

(i) अल्पावधि उत्पादन ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित करना या पुनर्भुगतान अवधि पुनः निर्धारित करना, और

(ii) नए अल्पावधि ऋण स्वीकृत करना।

(5) परिवर्तन या पुनर्निर्धारित के ऐसे मामलों में जैसा कि उप-पैरा (4) में उल्लिखित है, मीयादी ऋण के साथ-साथ नए अल्पकालिक ऋण को वर्तमान देय राशि माना जा सकता है और इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा किया जाएगा और इसे एनपीए के रूप में कृषि अग्रिमों को वर्गीकृत करने के लिए लागू मौजूदा मानदंडों के तहत एनपीए माना जाएगा।

49. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

(1) केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ, भले ही अतिदेय हों, केवल तभी (एनपीए मानी जाएँगी जब सरकार गारंटी का दावा किए जाने पर उसका खंडन कर दे।

(2) उपरोक्त उप-पैरा (1) में दी गई छूट आय निर्धारण के उद्देश्य से नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/या मूलधन या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।

50. स्टाफ को आवास ऋण

(1) स्टाफ सदस्यों को दिए गए आवास ऋण या इसी प्रकार के अग्रिमों के मामले में जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज देय है, ब्याज को पहले महीने के बाद से अतिदेय माना नहीं जाएगा।

(2) ऐसे ऋण/अग्रिमों को एनपीए के रूप में केवल तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब संबंधित देय तिथि पर मूलधन की किस्त या ब्याज के भुगतान में चूक हो।

51. स्वर्ण ऋण

(1) बैंक, उधारकर्ताओं की आय सृजन और चुकौती क्षमता के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए स्वर्ण ऋण के पुनर्भुगतान के लिए मासिक/तिमाही किस्त निर्धारित करेगा और ऐसे स्वर्ण ऋण खातों को एनपीए माना जाएगा यदि मूलधन की किस्तें और/या उस पर ब्याज 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय हो।

(2) कृषि प्रयोजनों के लिए दिए गए स्वर्ण ऋणों के संबंध में ब्याज वार्षिक अंतराल पर लिया जाएगा और फसल की कटाई के साथ भुगतान किया जाएगा।

(3) ऐसे अग्रिम को एनपीए माना जाएगा, यदि मूलधन और/या ब्याज की किस्तें नियत तारीख के बाद अतिदेय हो जाती हैं।

52. ऋण जोखिमों का अंतरण– ऋणों के अंतरण से संबंधित लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और संवितरण) निदेश 2025 के अनुसार होंगी।

53. क्रेडिट कार्ड खाते

(1) कोई बैंक क्रेडिट कार्ड खाते को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 'देय तिथि से अधिक' के रूप में रिपोर्ट करेगा या दंडात्मक शुल्क, जैसे विलंब शुल्क आदि, यदि कोई हो, तभी लगाएगा जब क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिनों से अधिक समय तक ‘बकाया’ रहे।

(2) हालांकि, ‘बकाया दिनों’ की संख्या और विलंब शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान की नियत तिथि से की जाएगी।

ई. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ

54. बैंक अपने एनपीए को 'अवमानक आस्तियों', ‘संदिग्ध आस्तियां' और 'हानि आस्तियां' में आगे वर्गीकृत करेगा।

55. अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत एनपीए के मामले में, उधारकर्ताओं/गारंटरों की वर्तमान निवल मालियत या प्रभारित प्रतिभूति का वर्तमान बाजार मूल्य बैंक को देय राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी आस्तियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्रेडिट कमजोरियां होंगी जो ऋण के परिसमापन को खतरे में डालती हैं और इस बात की स्पष्ट संभावना होती है कि यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो बैंक को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा।

56. संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण में वे सभी अंतर्निहित कमजोरियाँ होती हैं जो अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऋण में होती हैं, साथ ही यह अतिरिक्त विशेषता भी होती है कि इन कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों और मूल्यों के आधार पर पूर्ण वसूली या परिसमापन अत्यधिक संदिग्ध और असंभव हो जाता है।

57. हानि आस्ति को अप्राप्त करने योग्य और इतना कम मूल्य का माना जाता है कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में इसका जारी रहना उचित नहीं है, भले ही इसमें कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो।

58. आस्तियों का उपर्युक्त श्रेणियों में वर्गीकरण सुस्पष्ट ऋण संबंधी कमजोरियों की डिग्री को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

59. पैरा 38 के बावजूद, उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ताओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी जैसे अन्य कारकों के होने के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं, आस्ति को उचित रूप से संदिग्ध या हानि आस्ति के रूप में सीधे वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

यहां, धोखाधड़ी से तात्पर्य शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 15 जुलाई 2024 के मास्टर निदेशों से है, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया गया है।

60. पैरा 59 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित लागू होगा:

(1) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बैंक द्वारा मूल्यांकित मूल्य या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

(2) यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, उधार खातों में बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति

का अस्तित्व नकार दिया जाएगा और आस्ति को सीधे तौर पर हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

61. पैरा 59 और उप- पैरा 60(2) को ध्यान में रखने के बाद हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत आस्ति को सहकारी समिति अधिनियम/नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद या तो बट्टे खाते में डाला जा सकता है, या बैंक द्वारा पूर्णत: प्रावधान किया जा सकता है।

एफ. प्रतिभूति का मूल्यांकन

62. प्रतिभूति के मूल्य के आकलन में अंतर से उत्पन्न होने वाली भिन्नता को कम करने के लिए, 10 लाख रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में निम्नलिखित लागू होगा :

(1) सांविधिक लेखापरीक्षा/समवर्ती लेखापरीक्षा के समय चालू आस्तियों और उनके मूल्यांकन की जांच की जाएगी;

(2) स्टॉक मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, बड़े अग्रिमों के मामले में बाह्य एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक लेखापरीक्षा पर विचार किया जा सकता है;

(3) बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों जैसी संपार्श्विक का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा हर तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा।

जी. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

63. यदि किसी उधारकर्ता द्वारा बैंक से ली गई सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान वास्तविक स्रोतों से कर दिया गया है (अतिरिक्त सुविधाओं की मंजूरी या खातों के बीच धन अंतरण द्वारा नहीं), तो खातों को 'मानक' आस्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है। इस प्रकार, एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

64. ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाते बाद में भी व्यवस्थित रहें और बैलेंस शीट की तारीख को या उससे पहले खाते में की गई एक अकेली क्रेडिट प्रविष्टि, जो ब्याज की बकाया राशि या मूलधन की किस्त को समाप्त कर देती है, को खाते को मानक आस्ति के रूप में मानने का एकमात्र मानदंड नहीं माना जाएगा।

65. पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ तिथि (डीसीसीओ) की प्राप्ति न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्दिष्ट अनुदेश लागू होंगे।

अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड

ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत

66. किसी खाते के वसूली के संदेहपूर्ण होने, उसके ऐसा निर्धारण, प्रतिभूति की वसूली और बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, बैंक को अवमानक आस्तियों, संदेहपूर्ण आस्तियों और हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान करना होगा।

67. इन निदेशों के अनुसार आवश्यक सभी प्रावधान, चाहे उन्हें "अशोध्य और संदिग्ध कर्ज प्रारक्षित (बीडीडीआर)" शीर्षक के अंतर्गत या किसी अन्य लेखा शीर्षक के अंतर्गत लेखांकित किया जाए, उन्हें उस लेखा अवधि में लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा जिसमें उनका निर्धारण किया गया है।

68. इन निदेशों और अन्य मौजूदा विनियमों के अनुसार सभी लागू प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने के बाद, यदि लागू कानूनों या अन्यथा के अनुसार आवश्यक हो, तो बैंक बीडीडीआर में लाइन के नीचे निवल लाभ का कोई भी विनियोजन कर सकता है।

69. बैंक प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत में अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करेगा अर्थात् मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर के अंत में, ताकि संबंधित तिमाहियों के लिए आय और व्यय खाते के साथ-साथ वर्ष के अंत के लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र एनपीए के लिए किए गए प्रावधान को दर्शाए।

बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

70. बैंक निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करेगा:

मानक आस्ति की श्रेणी	प्रावधानीकरण दर (प्रतिशत में)
कृषि और एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र	1.00
वाणिज्यिक स्थावर संपदा-निवासी आवास क्षेत्र (सीआरई-आरएच)	0.75
अन्य सभी ऋण और अग्रिम जो ऊपर शामिल नहीं हैं	0.40

71. मानक आस्तियों' के प्रावधानों को सकल अग्रिमों से निवल नहीं किया जाएगा, बल्कि तुलन पत्र में 'अन्य निधियों और आरक्षित निधियों' {पूंजी और देयताएं की मद 2 (viii)} के तहत 'मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से प्रदर्शित किया जाएगा।

72. यदि कोई बैंक पहले से ही सांविधिक लेखा परीक्षक/रिजर्व बैंक निरीक्षण द्वारा निर्धारित/आवश्यक प्रावधान से अधिक प्रावधान बनाए हुए है, जो कि अशोध्य और संदिग्ध कर्ज प्रारक्षित या किसी अन्य खाता मद/एनपीए प्रावधान के अंतर्गत है, तो मानक आस्तियों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान को अलग रखा जाएगा और निदेशक मंडल के अनुमोदन से इसे 'मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' मद के अंतर्गत रखा जाएगा। इस मद में यदि कोई कमी हो, तो उसे सामान्य प्रक्रिया के तहत पूरा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा में संदर्भित प्रावधान वे प्रावधान हैं जो लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित करके बनाए जाते हैं।

73. पैरा 72 के अनुसार आकस्मिक प्रावधान टियर II की पूंजी में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

74. कुल बकाया राशि पर दस प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) गारंटी कवर और उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान

75. प्रावधान उस सीमा तक 100 प्रतिशत होगा जिस सीमा तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती जिस पर बैंक का वैध सहारा है।

76. पैरा 75 के प्रयोजन के लिए, वसूली योग्य मूल्य का आकलन यथार्थवादी आधार पर किया जाना चाहिए।

77. प्रतिभूत हिस्से के संबंध में, आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, प्रतिभूत हिस्से के बीस प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी हुई है	प्रावधान की आवश्यकता (प्रतिशत में)
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30

1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद 'तीन वर्ष से अधिक समय के लिए संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत अग्रिम ऋण।	100

ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान

78. सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते में डालना चाहिए।

79. यदि किसी कारण से आस्तियों को बहियों में रहने की अनुमति है, तो बकाया का 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए।

एफ. निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान

80. यदि कोई बैंक अपने आप विनिर्दिष्ट सीमाओं से परे अथवा संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में प्रदान किए गए अनुसार अशोध्य और संदिग्ध कर्ज सृजित करता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

जी. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान

81. धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में प्रावधान

(1) बैंक को देय संपूर्ण राशि (ऐसी आस्तियों के विरुद्ध रखी गई प्रतिभूति की मात्रा पर ध्यान दिए बिना) या जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है (जमा खातों के मामले सहित), धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होने से अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में प्रावधान किया जाएगा;

(2) यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी हुई हो, तो संपूर्ण प्रावधान एक ही बार में किया जाएगा।

(3) यदि बैंक द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने या उसके विरुद्ध प्रावधान करने में देरी हुई हो, तो उपरोक्त उप-पैरा (2) के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

82. परियोजना वित्त

(1) परियोजना वित्त ऋणों के लिए, बैंक को पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान बनाए रखना होगा:

	निर्माण चरण (प्रतिशत में)	परिचालन चरण – ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान की शुरुआत के बाद (प्रतिशत में)
सीआरई	1.25	1.00
सीआरई-आरएच	1.00	0.75
अन्य सभी	1.00	0.40

(2) जिन खातों ने डीसीसीओ आस्थगन का लाभ उठाया है और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 के अनुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखेगा।

(3) उप-पैरा (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनमें 1 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और ऐसे परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता रहेगा, अन्यथा उन्हें निरस्त माना जाएगा।

(4) उप-पैराग्राफ (3) के होते हुए भी, यदि 1 अक्टूबर, 2025 के बाद ऐसी परियोजनाओं में किसी नए क्रेडिट इवेंट का समाधान होता है और/या ऋण करार में भौतिक नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन होता है, तो उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 के बाद स्वीकृत किया गया हो।

(5) एनपीए के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान इन निदेशों के पैरा 74 से 79 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होगा।

83. सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान – किसी बैंक की अपने स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं, जैसे कि भविष्य निधि, उपदान और पेंशन आदि के रूप में देनदारियों का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक वर्ष उनके लाभ और हानि खाते में पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

84. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम – राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर मौजूदा प्रावधान मानदंड लागू होंगे, जैसा कि इन निदेशों में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है।

85. ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम

(1) निगम द्वारा गारंटीकृत और संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत अग्रिमों के मामले में, प्रावधान केवल ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष राशि के लिए किया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त, संदिग्ध आस्तियों के लिए किए जाने वाले प्रावधान की गणना करते समय, प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को पहले निगम द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष राशि से घटाया जाएगा और फिर प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण I:

बकाया राशि	₹4 लाख
ईसीजीसी कवर	50 प्रतिशत
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹4.00 लाख
घटा: धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अप्राप्त शेष राशि	₹2.50 लाख
घटा: ईसीजीसी कवर (अप्राप्त शेष राशि का 50 प्रतिशत)	₹1.25 लाख
निवल अरक्षित शेष	₹1.25 लाख
अग्रिम राशि के अरक्षित हिस्से के लिए प्रावधान	₹1.25 लाख (@अरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत)
अग्रिम राशि के रक्षित हिस्से के लिए प्रावधान (31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)	₹0.60 लाख (@रक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत)
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹1.85 लाख (31 मार्च 2014 को)

86. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटी द्वारा कवर किया गया अग्रिम।

(1) यदि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं/गारंटी के अंतर्गत दिया गया अग्रिम अनर्जक हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि के लिए अनर्जक आस्तियों के प्रावधान संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण II:

बकाया राशि	₹10 लाख
सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर	बकाया राशि का 75 प्रतिशत या अरक्षित राशि का 75 प्रतिशत या ₹37.50 लाख, इनमें से जो भी कम हो
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख	धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹10.00 लाख
घटा: प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अरक्षित राशि	₹8.50 लाख
घटा: सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर (75 प्रतिशत)	₹6.38 लाख
निवल अरक्षित और कवर नहीं किया हुआ भाग:	₹2.12 लाख
रक्षित भाग के लिए प्रावधान @ ₹1.50 लाख का 40 प्रतिशत	₹0.60 लाख
अरक्षित और कवर नहीं किए गए भाग के लिए प्रावधान @ ₹2.12 लाख का 100 प्रतिशत	₹2.12 लाख
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹2.72 लाख

87. सावधि/मियादी जमा, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के बदले दिए गए अग्रिम को प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं से छूट हैं।

88. सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के बदले दिए गए अग्रिमों पर उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं लागू होंगी।

89. सर्वसमावेशी निदेशों के अंतर्गत बैंकों का अंतरबैंक एक्सपोजर

(1) सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत किसी बैंक द्वारा किसी बैंक में जमा की गई जमा राशि से उत्पन्न अंतरबैंक एक्सपोजर और एआईडी के तहत किसी बैंक द्वारा जारी किए गए एलसी के तहत आहरित भुनाए गए बिलों से उत्पन्न उनके अनर्जक एक्सपोजर को पांच वर्षों के भीतर 20 प्रतिशत वार्षिक दर से पूर्णत: प्रावधान किया जाएगा।

(2) यदि बैंक ऐसे जमाओं को दीर्घकालिक स्थायी कर्ज लिखतों (जैसे नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत - आईपीडीआई) में परिवर्तित करना चुनते हैं, जिनका एआईडी के तहत

बैंक के पुनर्गठन/पुनरुद्धार की योजना के तहत पूंजी उपकरण के रूप में निर्धारण किया जा सकता है, तो ऐसे लिखतों में परिवर्तित जमाराशियों के हिस्से पर प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय V - आय निर्धारण

ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत

90. कोई बैंक केवल 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में ही उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण कर सकता है।

91. सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाओं सहित, 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत न की गई ऋण सुविधाओं के लिए, आय निर्धारण वास्तविक प्राप्ति के आधार पर, अर्थात् नकद आधार पर की जाएगी।

92. पैरा 91 के होते हुए भी, सावधि जमा, एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध दिए गए अग्रिमों पर ब्याज देय तिथि पर आय खाते में लिया जा सकता है, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

93. बकाया ऋणों के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अर्जित शुल्क और कमीशन को पुनःपरक्रामित या पुनर्निर्धारित ऋण विस्तार की अवधि में उपार्जन के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

94. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दिए गए 'पुनर्गठन' की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।

95. उपकरण पट्टे पर देने का कार्य करने वाले बैंक को विवेकपूर्ण लेखांकन मानकों का पालन करना चाहिए।

96. पट्टे के किराए में दो तत्व शामिल होते हैं - वित्त शुल्क (अर्थात ब्याज शुल्क) और आस्ति की लागत की वसूली के लिए शुल्क। केवल ब्याज घटक को ही आय खाते में लिया जाना चाहिए।

97. आस्ति के एनपीए बनने से पहले आय खाते में लिया गया ऐसा ब्याज घटक, यदि अप्राप्त हो तो उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा या उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

98. एनपीए के मामले में, विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में, उक्त खाते को बाद के महीनों में अर्जित ब्याज से डेबिट करने और इस अर्जित ब्याज राशि को बैंक की आय के रूप में लेने का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उक्त ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही, ऐसे अर्जित ब्याज को अलग से दिखाना या एक अलग खाते में रखना वांछनीय है ताकि ऐसे एनपीए खाते पर प्राप्त होने वाले ब्याज की गणना की जा सके और उसे इस प्रकार दिखाया जा सके, भले ही इसे उस अवधि के लिए बैंक की आय के रूप में लेखांकित न किया जाए।

99. यदि किसी खाते में किसी कारणवश वास्तव में ब्याज प्राप्त नहीं होता है और खाते को एनपीए माना जाता है, तो आय में ली गई ब्याज की राशि या तो प्रतिवर्तित कर दी जाएगी या पूर्णत: प्रावधान किया जाएगा।

100. अनर्जक अग्रिमों के संबंध में अर्जित ब्याज को उधार खातों में डेबिट नहीं किया जाएगा, बल्कि बैलेंस शीट के 'संपत्ति और आस्ति' पक्ष में 'ब्याज प्राप्य खाता' के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट के 'पूंजी और देनदारियां' पक्ष में 'अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता' के अंतर्गत संबंधित राशि दिखाई जाएगी।

101. उधार खातों के संबंध में, जिन्हें अर्जक आस्तियों के रूप में माना जाता है, अर्जित ब्याज को वैकल्पिक रूप से उधार खाते में डेबिट किया जा सकता है और ब्याज खाते में क्रेडिट किया जा सकता है और आय खाते में ले जाया जा सकता है।

102. यदि उधार खाते के संबंध में अर्जित ब्याज वास्तव में वसूल नहीं किया जाता है और खाता एनपीए हो जाता है, तो अर्जित ब्याज और आय खाते में जमा ब्याज या तो प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा या पूर्णत: प्रावधान किया जाएगा।

अर्जक और अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के संबंध में दर्ज की जाने वाली उदाहरण लेखांकन प्रविष्टियाँ

I. अर्जक अग्रिमों पर अर्जित ब्याज

i) अर्जक अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को उधार खातों में प्रभारित किया जा सकता है और आय खाते में ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता 'X' के अर्जक अग्रिमों (नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण खाता, आदि) पर अर्जित ब्याज ₹10,000/- है, तो खाता बही में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं:

(नामे) उधारकर्ता खाता(सीसी, ओडी ऋण)	₹10,000.00
(जमा) ब्याज खाता	₹10,000.00

ii) यदि उधार खाते पर अर्जित ₹10,000/- का ब्याज वास्तव में प्राप्त नहीं होता है और खाता एनपीए हो जाता है, तो अर्जित ब्याज को आय खाते में जमा किया जाना चाहिए या यदि वह प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ करके प्रावधान किया जाना चाहिए:

(नामे) लाभ और हानि खाता	₹10,000.00
(जमा) अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता	₹10,000.00

iii) यदि उपार्जित ब्याज बाद में वसूल किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं:

(नामे) नकद/बैंक खाता	₹10,000.00
(जमा) उधारकर्ता खाता(सीसी, ओडी ऋण)	₹10,000.00
(नामे) अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता	₹10,000.00
(जमा) ब्याज खाता	₹10,000.00

II. अनर्जक अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज

i) अनर्जक अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को 'ब्याज प्राप्य खाते' में डेबिट किया जा सकता है और संबंधित राशि को 'अतिदेय ब्याज आरक्षित खाते' में क्रेडिट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता 'Y' के नकद ऋण/ओडी/ऋण आदि खाते पर अर्जित ब्याज ₹20,000 है, तो निम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं:

(नामे) ब्याज प्राप्य खाता	₹20,000.00
(जमा) अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता	₹20,000.00

ii) इसके बाद, यदि वास्तव में ब्याज प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं:

(नामे) नकद/बैंक खाता	₹20,000.00
(जमा) ब्याज खाता	₹20,000.00
(नामे) अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता	₹20,000.00
(जमा) ब्याज प्राप्य खाता	₹20,000.00

III. उधार खाता-बही और बैलेंस शीट में अतिदेय ब्याज का लेखांकन

i) प्रत्येक अनर्जक उधार खाते के संबंध में प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि की गणना करने में बैंकों की सुविधा के लिए, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत खाता बही खातों में एक अलग कॉलम खोलने और उसमें प्राप्त होने वाले ब्याज को दर्शाने पर विचार कर सकता है। इससे बैंकों को किसी विशेष समय पर उधारकर्ताओं से वास्तव में वसूल की जाने वाली ब्याज राशि निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। ऋण बहीखातों में अलग-अलग कॉलमों में दर्शाई गई कुल राशि अनर्जक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज होगा

और इसे बैलेंस शीट के 'आस्ति' पक्ष में 'अतिदेय ब्याज आरक्षित' के रूप में दर्शाया जाएगा इसके अनुरूप देनदारी पक्ष में एक संबंधित मद 'अतिदेय ब्याज आरक्षित' के रूप में दर्ज किया जाएगा।

ii) इसी प्रकार, अर्जक ऋणों के संबंध में ऋण खाता बही में एक अलग कॉलम प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें आय खाते में दर्ज किए गए उपार्जित ब्याज को दर्शाया जाए। यदि उपार्जित ब्याज की वसूली नहीं होती है और खाता एनपीए हो जाता है, तो राशि को प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए या उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

103. बकाया ब्याज आरक्षित निधि बैंक द्वारा प्राप्त वास्तविक या अर्जित आय से नहीं बनाई जाती है, इसलिए अतिदेय ब्याज आरक्षित खाते में रखी गई राशि को 'आरक्षित' या बैंक की स्वामित्व वाली निधि का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

104. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित बैलेंस शीट प्रारूप के अनुसार बैंकों को 'पूंजी और देनदारियों' पक्ष में मद 8 के तहत 'अतिदेय ब्याज आरक्षित' को एक अलग मद के रूप में दिखाना आवश्यक है।

105. किसी बैंक द्वारा एआईडी के अंतर्गत किसी बैंक में जमा की गई राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज बैंक द्वारा आय के रूप में निर्धारित नहीं होगा।

बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन

106. यदि कोई अग्रिम, जिसमें खरीदे और भुनाए गए बिल शामिल है, एनपीए हो जाता है, तो पिछली अवधियों में अर्जित और आय खाते में जमा किया गया संपूर्ण ब्याज, यदि वह वसूल नहीं किया जाता है, तो प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। यह उन सरकारी गारंटीकृत खातों पर भी लागू होगा जिनका भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।

107. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की संस्वीकृति के समय अनुमत) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो अधिस्थगन की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज, यदि कोई हो, को प्रतिवर्तित की आवश्यकता नहीं है।

108. एनपीए के संबंध में, अर्जित शुल्क, कमीशन और इसी तरह की आय वर्तमान अवधि में अर्जित होना बंद हो जाती है और यदि पिछली अवधियों में वसूल नहीं की गई है तो उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

सी. एनपीए से वसूली का विनियोजन

109. अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में लिया जाए, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को संस्वीकृत नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो।

110. अनर्जक आस्तियों (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) में वसूली के विनियोग के प्रयोजन के लिए बैंक और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने से, बैंकों को लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोग के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए।

डी. शेयरों और बांडों में निवेश पर आय दर्ज करना

111. निवेश आय निर्धारण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन भी हैं। कोई बैंक किसी भी प्रतिभूति के संबंध में, चाहे वह किसी भी श्रेणी में शामिल हो, उपार्जन के आधार पर आय दर्ज नहीं करेगा, यदि ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।

112. यूटीआई की इकाइयों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की इक्विटी पर आय नकद आधार पर दर्ज की जाएगी, न कि उपार्जन आधार पर।

113. सरकारी प्रतिभूतियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बांडों से होने वाली आय के संबंध में, जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित होती हैं, आय को उपार्जन आधार पर दर्ज किया जा सकता है, बशर्ते ब्याज नियमित रूप से चुकाया जाता हो और वह बकाया न हो।

अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

114. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

115. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

    (1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

    (2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

    (3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

116. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

117. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे

तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी

(मुख्य महाप्रबंधक)

अनुबंध - I

प्रोफॉर्मा

Name of the Bank

Category Tier 1 / Tier 2/Tier 3/Tier 4

Classification of Assets and Provisioning made against Non-Performing Assets as on March 31, _______

(₹ in lakh)

Classification of Assets	No. of A/Cs	Amount Outstanding	Percentage of Col.3 to total loan outstanding	Provision required to be made %	Amount	Existing provision at the beginning of the year	Provisioning made during the year under report	Total provisions as at the end of the year	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total loans and advances									
Of which									
A. Standard Assets									
B. Non-performing Assets									
1. Sub-standard									
2. Doubtful									
i) Upto 1 year									
a) Secured									
b) Unsecured									
ii) Above 1 year & up to 3 years									
a) Secured									
b) Unsecured									
iii) Above 3 years									
Total doubtful assets (i+ii+iii)									
a) Secured									
b) Unsecured									
3. Loss Assets									
Gross NPAs (B1 + B2 + B3)									

Note : Please indicate the manner in which the provision (item 8) has been made / proposed to be made out of the profit of the current year.

निवल अग्रिमों / निवल एनपीए की स्थिति

				(₹ in lakh)
Sr. No.	**Particulars**		**Current Year**	**Previous Year**
1.	Gross Advances			
2.	Gross NPAs			
3.	Gross NPAs as percentage to Gross Advances			
4.	Deductions			
	-	Balance in interest suspense account / OIR*		
	-	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment		
	-	Part payment of NPA accounts received and kept in suspense account		
	Total Deductions			
5.	Total NPA provisions held (BDDR* or any other head of account* / provisions for NPA) * Provisions created above the line i.e. by charging as an expense to the Profit and Loss account.			
6.	Net Advances (1-4-5)			
7.	Net NPAs (2-4-5)			
8.	Net NPAs as percentage of Net Advances			
* i.e. accrued interest on NPA accounts if included (capitalised) in loans and advances				

CERTIFIED that the non-performing assets have been worked out as per RBI instructions and provisions made accordingly.

Chief Executive Officer

Statutory Auditors